प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 मई, 2023

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी स्वामीनाथ उर्फ स्वामीदयाल पुत्र श्री मोहब्बत, निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21667/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2022) दिनांक-04.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी स्वामीनाथ उर्फ स्वामीदयाल पुत्र श्री मोहब्बत, ग्राम-करियाखेड़ा, थाना-कोतवाली, जनपद-उन्नाव का निवासी है। पूर्व में हुई भाई रामराज की हत्या में बड़े भाई राजकुमार द्वारा गवाही न दिये जाने के कारण सभी अभियुक्त केस से बरी हो गये थे। दिनांक 24.10.1978 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचे से गोली मारकर राजकुमार नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-421/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 18.03.1980 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 14.07.2004 द्वारा यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 01.05.2022 तक 18 वर्ष 01 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 10 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बंदी स्वामीनाथ उर्फ स्वामीदयाल पुत्र श्री मोहब्बत की फार्म-ए के आधार पर समपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुई भाई रामराज की हत्या में बड़े भाई राजकुमार द्वारा गवाही न दिये जाने के कारण सभी अभियुक्त केस से बरी हो गये थे। दिनांक 24.10.1978 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचे से गोली मारकर राजकुमार नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी स्वामीनाथ उर्फ स्वामीदयाल पुत्र श्री मोहब्बत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी स्वामीनाथ उर्फ स्वामीदयाल (बंदी संख्या-15132) पुत्र श्री मोहब्बत, निवासी जनपद-उन्नाव के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय

विशेष सचिव।

संख्या-206/2023/1815 (1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजिबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-488/2021 इम्तियाज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 एवं अवमाननावाद संख्या-821/2023 कुतई उर्फ दिलीप चन्द्र व अन्य बनाम राजेश कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2023 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-206/2023/1815/22-2-2022-17(984)/2022

दिनांक 08 मई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी स्वामीनाथ उर्फ स्वामीदयाल पुत्र श्री मोहब्बत, ग्राम-करियाखेड़ा, थाना-कोतवाली, जनपद-उन्नाव का निवासी है। पूर्व में हुई भाई रामराज की हत्या में बड़े भाई राजकुमार द्वारा गवाही न दिये जाने के कारण सभी अभियुक्त केस से बरी हो गये थे। दिनांक 24.10.1978 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचे से गोली मारकर राजकुमार नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-421/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 18.03.1980 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 14.07.2004 द्वारा यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 01.05.2022 तक 18 वर्ष 01 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 10 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बंदी स्वामीनाथ उर्फ स्वामीदयाल पुत्र श्री मोहब्बत की फार्म-ए के आधार पर समपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुई भाई रामराज की हत्या में बड़े भाई राजकुमार द्वारा गवाही न दिये जाने के कारण सभी अभियुक्त केस से बरी हो गये थे। दिनांक 24.10.1978 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचे से गोली मारकर राजकुमार नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी स्वामीनाथ उर्फ स्वामीदयाल पुत्र श्री मोहब्बत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।